न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 67 / 2023

1 मंगलचन्द पुत्र पन्नाराम जाति जाट निवासी चुड़ेला तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 नेमीचन्द पुत्र पालाराम जाति जाट निवासी चुड़ेला तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।
2 श्रीमती निर्मला पत्नी स्व. प्यारेलाल जाति जाट निवासी चुड़ेला तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।
3 रोनक पुत्र स्व. प्यारेलाल जाति जाट निवासी चुड़ेला तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।
4 अंकित पुत्री स्व. प्यारेलाल जाति जाट निवासी चुड़ेला तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।
5 महेश कुमार पुत्र पालाराम जाति जाट निवासी चुड़ेला तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।
6 राकेश कुमार पुत्र पालाराम जाति जाट निवासी चुड़ेला तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।
7 श्रीमती दाखा पत्नी स्व. पोकरराम जाति जाट निवासी चुड़ेला तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।
8 श्रीमती पार्वती पुत्री स्व. पोकरराम पत्नी विधाधर जाति जाट निवासी सोटवारा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
9 श्रीमती बबिता पुत्री स्व. पोकर पत्नी योगेन्द्र जाति निवासी सोटवारा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
10 रजनीश पुत्र स्व. सन्तोष एवं प्रदीप कुमार जाति जाट निवासी राहड़ो की बास तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।
11 कमलेश पुत्र स्व. संतोष एवं प्रदीप कुमार जाति जाट निवासी राहड़ों का बास तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

12 पवन पुत्र स्व. श्रीमती विनोद व रामदेव जाति जाट निवासी सोटवारा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
13 नवीन पुत्र स्व. श्रीमती विनोद व रामदेव जाति जाट निवासी सोटवारा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
14 विकास कुमार पुत्र विधाधर जाति जाट निवासी सोटवारा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
15 राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा चुड़ेला तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं जरिये शाखा प्रबंधक
16 राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा गांधी चोक झुन्झुनू जरिये शाखा प्रबंधक
17 राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 आरटीएक्ट 1955
प्रथम अपील विरूद्ध निर्णय व अंतिम डिक्री बअदालत
उपखण्ड अधिकारी मलसीसर जिला झुन्झुनूं दावा उनवानी
नेमीचन्द बनाम प्यारेलाल वगै. दावा बाबत घोषणार्थ, बंटवारा
एवं स्थायी निषेधाज्ञा मु.नं. 28/2016 निर्णय व अंतिम डिक्री
दिनांक 13.07.2022

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः—20/5/25

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर द्वारा मुकदमा नम्बर 28/2016 में पारित निर्णय दिनांक 13.07.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक वाद घोषणार्थ बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 202, 203, 225/666,240, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 241, 242, 225/666 वाके ग्राम चुड़ेला का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि दावा के प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु दिनांक 12.01.2022 को हुई। उक्त प्रतिवादी के वारिस रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 है। दावा के प्रतिवादी संख्या 5 पोकरराम का देहान्त दिनांक 24.02.2018 को हुआ। दावा के प्रतिवादी संख्या 5 पोकरराम के वारिस रेस्पोडेन्ट संख्या 7, 8, 9 तथा स्व. श्रीमती विनोद हुए। स्व. श्रीमती विनोद के वारिस रेस्पोडेन्ट संख्या 12 से 13 है। दावा के प्रतिवादी संख्या 6 सन्तोष देवी का देहान्त हो चुका है। उक्त श्रीमती सन्तोष के वारिस रेस्पोडेन्ट संख्या 10 व 11 है। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने दावा के उपरोक्त प्रतिवादीगण के वारिसान को रिकार्ड पर लिये बिना ही निर्णय व अन्तिम डिक्री पारित हुई है। जो खारिज होने योग्य है। विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं की है। अपीलान्ट को अंतिम डिक्री पारित करने से पूर्व विभाजन प्रस्ताव पर सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। विचारण न्यायालय ने राजस्थान टिनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) नियम 1955 के नियम 18 से 20 की पालना नहीं की है। विचारण न्यायलाय ने राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा सर्कुलेटेड निर्णय कैलाश बनाम रमेश (आरबीजे 2017 पृष्ठ 299) में लार्जर बैंच द्वारा प्रतिपादित किये गये सिद्धान्तों की पालना नहीं की है। तहसीलदार स्वयं विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु मौके पर नहीं गये। तहसीलदार ने विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व अपीलान्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

का कोई नोटिस नहीं दिया। इस प्रकार एकपक्षीय रूप से तैयार विभाजन प्रस्ताव को सही मानकर विचारण न्यायालय ने निर्णय व अन्तिम डिक्री गलत रूप से जारी की है। भौतिक कब्जे के मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किये गये है। विभाजन प्रस्ताव पर ऐतराज मांगे बिना ही निर्णय पारित किया गया है। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया को नजरअंदाज कर निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की है जो खारिज होने योग्य है। तमाम सहखातेदारान के बीच विभाजन नहीं किया है। कानून से तमाम सहखातेदारान के मध्य विभाजन किया जाना चाहिये था। अपीलान्ट के हिस्से का विभाजन अलग से नहीं किया गया है और अपीलान्ट के कब्जे की जमीन सहखातेदारी में छोड़ दी गई है जो कि कानूनन गलत है। अपीलान्ट के कब्जे की भूमि रेस्पोडेन्टस संख्या 1 से 6 के हिस्से में दर्ज कर दी गई। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत अपील प्रतिवादी संख्या 4 मंगलचन्द की ओर से प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय में बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर दिनांक 20.09.2016 को प्रतिवादी संख्या 1 से 6 व 8 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। दिनांक 14.06.2018 को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 प्यारेलाल, महेश एवं राकेश ने उपस्थिति होकर आदेशिका पर हस्ताक्षर किये है। इनके द्वारा उपस्थिति के उपरांत कोई जवाबदेही नहीं की गई। इसके पश्चात अनुपस्थित रहने पर दिनांक 17.02.2021 को एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये है। इसी दिन विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई। जो दिनांक 01.11.2021 को संसोधित कर पुनः प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष न तो एकपक्षीय कार्यवाही मनसुख करवाने के लिए आदेश 09 नियम 13 के तहत कोई कार्यवाही की गई है न ही प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध कोई अपील प्रस्तुत की गई है। प्राथमिक डिक्री की पालना में ही विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुये

प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

है। विभाजन प्रस्ताव माननीय मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना में तहसीलदार द्वारा तैयार किये गये है। विभाजन प्रस्ताव में विधि अनुसार रास्ते का प्रावधान रखा गया है। जिनके आधार पर बाद सुनवाई विचाराधीन अंतिम डिक्री पारित की गई है। अपील में अपीलांट द्वारा आक्षेपित मृत पक्षकारों के वारिसान की ओर से अंतिम डिक्री को चुनौती नहीं दी गई है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है प्रस्तुत अपील प्रतिवादी संख्या 4 मंगलचन्द की ओर से प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय में बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर दिनांक 20.09.2016 को प्रतिवादी संख्या 1 से 6 व 8 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। दिनांक 14.06.2018 को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 प्यारेलाल, महेश एवं राकेश ने उपस्थिति होकर आदेशिका पर हस्ताक्षर किये है। इनके द्वारा उपस्थिति के उपरांत कोई जवाबदेही नहीं की गई। इसके पश्चात अनुपस्थित रहने पर दिनांक 17.02.2021 को एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये है। इसी दिन विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई। जो दिनांक 01.11.2021 को संसोधित कर पुनः प्राथमिक डिक्री जारी की गई है।

प्रस्तुत प्रकरण में दावा के प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु दिनांक 12.01.2022 को हुई। उक्त प्रतिवादी के वारिस रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 4 है। दावा के प्रतिवादी संख्या 5 पोकरराम का देहान्त दिनांक 24.02.2018 को हुआ। दावा के प्रतिवादी संख्या 5 पोकरराम के वारिस रेस्पोडेन्ट संख्या 7,

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

8, 9 तथा स्व. श्रीमती विनोद हुए। स्व. श्रीमती विनोद के वारिस रेस्पोडेन्ट संख्या 12 से 13 है। दावा के प्रतिवादी संख्या 6 सन्तोष देवी का देहान्त हो चुका है। उक्त श्रीमती सन्तोष के वारिस रेस्पोडेन्ट संख्या 10 व 11 है। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने दावा के उपरोक्त प्रतिवादीगण के वारिसान को रिकार्ड पर लिये बिना ही निर्णय व अन्तिम डिक्री पारित हुई है। जो खारिज होने योग्य है। विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं की है। अपीलान्ट को अंतिम डिक्री पारित करने से पूर्व विभाजन प्रस्ताव पर सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। विचारण न्यायालय ने राजस्थान टिनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की है। विचारण न्यायलाय ने राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा सर्कुलेटेड निर्णय कैलाश बनाम रमेश (आरबीजे 2017 पृष्ठ 299) में लार्जर बैंच द्वारा प्रतिपादित किये गये सिद्धान्तों की पालना नहीं की है। तहसीलदार स्वयं विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु मौके पर नहीं गये। तहसीलदार ने विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व अपीलान्ट का कोई नोटिस नहीं दिया। इस प्रकार एकपक्षीय रूप से तैयार विभाजन प्रस्ताव को सही मानकर विचारण न्यायालय ने निर्णय व अन्तिम डिक्री गलत रूप से जारी की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि मृत पक्षकारों के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेकर उभयपक्ष की उपस्थिति में तहसीलदार से नियम 18 से 21 की पालना में पुनः विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.06.2025 को उपस्थिति देवें।

(प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

निर्णय आज दिनांक 20/5/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर